

**कार्यालय प्राचार्य**  
**औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगाँव (छ.ग.)**  
**(8वीं बटालियन के पास पेण्ड्री राजनांदगाँव )**

**—:: फ्री सीट की चयन सूची में चयनीत आवेदकों के लिये प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश ::—**

**प्रवेश के समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखें –**

- 1) निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्र (जो लागू हो) जांच के लिये **लाना आवश्यक** है । साथ ही समस्त मूल प्रमाण पत्रों की एक-एक छायाप्रति जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, भी साथ लावें ।
  - (1) कक्षा आठवीं परीक्षा/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा/10+2 के अतर्गत हायर सेकेण्ड्री 12वीं/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की मूल अंकसूची ।
  - (2) वे अभ्यर्थी जो **हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद** की अंक सूची संलग्न किये हैं उन्हें माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ रायपुर से कक्षा दसवीं की अंग्रेजी विषय में पास की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है । **इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।**
  - (3) जाति प्रमाण-पत्र शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो । अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के मामले में वैधता समयावधि समाप्त नहीं हुई हो ।
  - (4) अपंगता प्रमाण-पत्र पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड अथवा अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा जारी किया गया हो ।
  - (5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उसके पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों, नाति/नातिन से संबंधित प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर में रखीं हुई सूची में पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदाय किया गया जो निर्धारित प्रपत्र में हो ।
  - (6) भूतपूर्व सैनिक अथवा उस पर आश्रित के प्रकरण में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो ।
  - (7) कार्यरत सैनिक अपने युनिट के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।
  - (8) संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र (कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया हों)
  - (9) अनाथ के प्रकरण में :-पंजीकृत अनाथालय का प्रमाण-पत्र जिलाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी किया गया हों ।
  - (10) अंतिम शैक्षणिक संस्था का मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) लाना अनिवार्य है ।
  - (11) यदि अन्य प्रदेश से शिक्षा प्राप्त की हो तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है । अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
  - (12) अन्य ।

// 2 //

- 3) निम्नांकित शुल्क/राशि प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
  - 1.जमानत राशि – रूपये 50.00
  - 2.प्रशिक्षण शुल्क – रूपये 1000.00 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को छोड़कर)
- 4) उपरोक्त के अभाव में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।
- 5) संस्था में प्रशिक्षणार्थियों को **स्लेटी (स्मोक ग्रे) रंग के गणवेश** में उपस्थित होना अनिवार्य हैं।
- 6) **संस्था परिसर में प्रशिक्षणार्थियों को मोबाइल का उपयोग करना सक्त मना हैं।**

प्रवेश हेतु उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व्यय भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि उक्त दिनांक को आपने प्रवेश नहीं लिया तो यह मान लिया जावेगा कि आप प्रवेश के इच्छुक नहीं हैं और आपके स्थान पर प्रावीण्य सूची के अगले उम्मीदवार को प्रवेश दे दिया जावेगा एवं आपका अस्थायी चयन स्वयमेव ही निरस्त हो जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

**—:: फ्री सीट की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों के लिये प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश ::—**

**प्रवेश के समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखें –**

- 1) निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्र (जो लागू हों) जांच के लिये **लाना आवश्यक** है। साथ ही समस्त मूल प्रमाण पत्रों की एक-एक छायाप्रति जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, भी साथ लावें।
  - (1) कक्षा आठवीं परीक्षा/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा/10+2 के अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री 12वीं/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की मूल अंकसूची।
  - (2) वे अभ्यर्थी जो **हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद** की अंक सूची संलग्न किये हैं उन्हें माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ रायपुर से कक्षा दसवीं की अंग्रेजी विषय में पास की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। **इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**
  - (3) जाति प्रमाण-पत्र शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के मामले में वैधता समयावधि समाप्त नहीं हुई हो।
  - (4) अपंगता प्रमाण-पत्र पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड अथवा अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा जारी किया गया हो।
  - (5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उसके पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों, नाति/नातिन से संबंधित प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदाय किया गया जो निर्धारित प्रपत्र में हो।

- (6) भूतपूर्व सैनिक अथवा उस पर आश्रित के प्रकरण में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो ।
  - (7) कार्यरत सैनिक अपनं युनिट के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।
  - (8) संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र (कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया हों)
  - (9) अनाथ के प्रकरण में :-पंजीकृत अनाथालय का प्रमाण-पत्र जिलाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी किया गया हों।
  - (10) यदि अन्य प्रदेश से शिक्षा प्राप्त की हो तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
  - (11) अन्य ।
- 3) निम्नांकित शुल्क/राशि प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा ।
- 1.जमानत राशि – रुपये 50.00
  - 2.प्रशिक्षण शुल्क – रुपये 1000.00 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को छोड़कर)
- 4) उपरोक्त के अभाव में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा ।
- 5) संस्था में प्रशिक्षणार्थियों को **स्लेटी (स्मोक ग्रे) रंग के गणवेश** में उपस्थित होना अनिवार्य हैं ।
- 6) **संस्था परिसर में प्रशिक्षणार्थियों को मोबाइल का उपयोग करना सक्त मना हैं।**

प्रवेश हेतु उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व्यय भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि उक्त दिनांक को आपने प्रवेश नहीं लिया तो यह मान लिया जावेगा कि आप प्रवेश के इच्छुक नहीं है और आपके स्थान पर प्रावीण्य सूची के अगले उम्मीदवार को प्रवेश दे दिया जावेगा एवं आपका अस्थायी चयन स्वयमेव ही निरस्त हो जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

विषेष नोट:-

1. रिक्त स्थान होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा ।
2. प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश दिनांक से 07 दिनों के भीतर मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है । अन्यथा आपका प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा ।
3. प्रवेश हेतु उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र एवं निर्धारित शुल्क उसी समय प्रस्तुत एवं जमा करने होंगे । जिनके अभाव में अगल से समय नहीं दिया जावेगा एवं प्राविण्य क्रम के अगले आवेदक को प्रवेश दे दिया जावेगा ।

प्रवेश प्रभारी  
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था  
राजनांदगाँव (छ.ग.)

प्राचार्य  
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था  
राजनांदगाँव (छ.ग.)